

## प्रारूप-2

### कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झांडान

दुरभाष एवं फैसलनम्बर- 01592 - 235475/ 235474 E-mail Id.: deoelajin@gmail.com

कमाक.-जिशिअ/प्रारं/झु/मान्यता/2012/65)

दिनांक:- 3.0.10.11

विवरण :— सूची  
मान्यता प्रमाण

विषय - नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उआ नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

ग/ महोदया.

[19.10.11]

आपके दिनांक:- 23 अक्टूबर 2012 के आदेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चात्वर्ती मान्यता को दिनांक:- सन् 2012 से दिनांक: 21.10.13 तक तीन वष की अवधि के लिए कक्षा 8 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करेने की संसूचना देता है। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित पात्रों को पूर्ण किए जाने के अध्यधीन है-

1 मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन के लिए कोई गार्हित विवक्षित नहीं है।

2 ग्रामसंघ नि. शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और नि. शुल्क एवं अनिवार्य ग्रामसंघ का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3 ग्रामसंघ कक्षा 1 से उत्तर कक्षा के बालकों की सख्ता के 25 प्रतिशत तक आस-टाई के कमज़ोर वर्गों और अन्तराम पर रामुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि. शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी/विधालय किसी कौपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा है।

7 ग्रामसंघ सुनिश्चित करेगा कि—

(i) प्रतेक ट्रिंगे गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुर्तीर्ण नहीं किया जायेगा। या उससे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालकों गारीरिक टण्ड या मानसिक उपीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) पारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) पारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाठ्य वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्विष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक रवांय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

D. S. W.

S.


**PRINCIPAL  
BIRLA SCHOOL, PILANI  
PILANI (RAJ.)**


  
 Manager  
 Birla School Pilani  
 Pilani - 333031 (Rajasthan)  
 CBSE Affl. No. : 1730009



- 8 विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य घर्षा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 9 विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकाधित, विधालय में उपलब्ध प्रस्तुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
- 10 विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रस्तुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
- विधालय परिसर का क्षेत्र
- कून्न निर्मित शाह
- कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
- कक्षा कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- पेयजल सुविधा
- मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई
- वाधा रहित पहुंच
- अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकुद उकस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 12 विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 15 विधालय के लेखाओं के घार्टड अकाउन्टर द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) छुन्झुनू को भेजी जानी चाहीए।
- 16 आपके विधालय को आंविट मान्यता कोड संस्थाकरण है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) छुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- 19 सलान उपाध्य-॥। के अनुसार अन्य कोई शर्त।
20. R.T.E. 2009 के दामक्षण मापदण्ड की पूरी अपर्णता

मवदीय,

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, छुन्झुनू

  
PRINCIPAL  
BIRLA SCHOOL, PILANI  
PILANI (RAJ.)

  
Manager  
Birla School Pilani  
Pilani - 333031 (Rajasthan)  
CBSE Affl. No. : 1730009

